# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–33/नेत्र सहायक/एफ 284/2019/ दिनांकः

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय।

विषयः राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 661/2019 सुनील कुमार वर्मा नेत्र सहायक में पारित आदेश दिनांक 5.4.2019 की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक/अराज/सामान्य/2019/251 दिनांक 8.3.2019 की सूची के क्रम संख्या 98 पर अंकित श्री सुनील कुमार वर्मा नेत्र सहायक का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फागी, जयपुर से आई यूनिट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में पदस्थापन/स्थानान्तरण किया गया है एवं उनके स्थान पर श्री सुजीत कुमार सांखला नेत्र सहायक का पदस्थापन/स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फागी जिला जयपुर में किया गया है।

श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक ने उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 661/2019 दायर की है जिसमें माननीय अधिकरण ने दिनांक 5.4.2019 को आदेश पारित किये है कि–

**" राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में आगामी विधानसभा निर्वाचन के क्रम में वर्तमान में लागू आचार संहिता समाप्त होने एवं स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के 20 दिवस में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में अलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 8.3.2019 का कियान्वयन अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नही किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। "**

अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति के साथ अभ्यावेदन दिनांक 15.4.2019 को निदेशालय में प्रस्तुत किया है।

**क्रमशः पेज 2 .....**

order doc

माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 5.4.2019 में उक्त स्थानान्तरण आदेश की कियान्विति में अपीलार्थी की सीमा तक स्थगन के आदेश पारित किये है, अतः माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना में श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फागी जिला जयपुर में कार्यग्रहण कराया जावें।

/

( मुकुल शर्मा )
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

कमांकःई–33 / नेत्र सहायक / एफ 284 / 2019 / 156 दिनांकः 24/5/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय को माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 5.4.2019 की प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में यथाशीघ्र केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रकरण को निस्तारित कराने की कार्यवाही करावें।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फागी जिला जयपुर।
4. श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड़।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर